2012:सीजीएचसी:9049

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 1, 2004

रामसुख

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

दिनांक: 26-03-2012 को सूचीबद्ध करे।

सही/-

आर.एस. शर्मा

न्यायमूर्ति

दिनांक: 26-03-2012

2012:सीजीएचसी:9049

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 1, 2004

अपीलार्थी: रामसुख, पिता: नारायण कश्यप, उम्र: 47 वर्ष,
निवासी: कनई, थाना जांजगीर,जिला जांजगीर-चांपा

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री आर.के. जैन, अपीलार्थी के अधिवक्ता ।

श्री संदीप यादव, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए।

(दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973)

निर्णय

(दिनांक: 26 मार्च, 2012 को प्रदान किया गया)

यह अपील दिनांक 24-12-2003 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जांजगीर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 345/2003 में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्त/ अपीलार्थी रामसुख को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है और उसे 7 साल के कठोर कारावास से और 200/- रुपये के जुर्माने से दंडित गया है, चूक होने पर, आगे 1 महीने का अतिरिक्त सक्षम कारावास भुगतना होगा।

2012:सीजीएचसी:9049

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण, संक्षेप में, इस प्रकार हैं:-

अभियोक्त्री दुवासा बाई (अ0सा0-1) अपीलार्थी के पुत्र मनोज कुमार की पत्नी है और अपीलार्थी की बहू है। मनोज कुमार से शादी के बाद, वह लगभग 7-8 महीने तक उसके साथ खुशी से रही। तत्पश्चात, अपीलार्थी और उसकी पत्नी, अर्थात, दोषमुक्त अभियुक्त श्रीमती रूक्मणी उर्फ रुक्मिण ने उसे यह कहते हुए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि वह अच्छा खाना बनाना नहीं जानती। घटना के दिन, जब मनोज कुमार (अभियोक्त्री का पति) और उसका देवर घर पर मौजूद नहीं थे, तो अपीलार्थी रामसुख ने अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया। उस समय, दोषमुक्त अभियुक्त श्रीमती रूक्मणी उर्फ रुक्मिण ने अभियोक्त्री के हाथ पकड़े और उसके पैरों को बांध दिया और इस प्रकार उसने अपीलार्थी को अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने में सहायता प्रदान की। अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ कई बार बलात्कार किया। अभियोक्त्री दुवासा बाई (अ0सा0-1) ने घटना को अपनी (भाभी) सुखबाई (अ0सा0-2) और केवराबाई (अ0सा0-4) को सुनाया। अभियोक्त्री ने पुलिस थाना जांजगीर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र 0 पी0 -1) दर्ज कराई। अभियोक्त्री को चिकित्सा परीक्षण के लिए (प्र0पी0-4) के द्वारा जिला अस्पताल जांजगीर भेजा गया था। डॉ. अनीता श्रीवास्तव (अ0सा0-7) ने अभियोक्त्री की जांच की और अपनी रिपोर्ट (प्र 0 पी0-5) दी, जिसमें उन्होंने पाया कि अभियोक्त्री यौन संबंध की आदी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आगे की विवेचना में, योनि स्वाब की स्लाइड जब्त की गई, जो प्र 0 पी0-3 है। अपीलार्थी को भी मेडिकल जांच के लिए जिला चिकित्सालय, जांजगीर भेजा गया। डॉ. बी.एस. चंदेल (अ0सा0-8) ने उसकी जांच की और अपनी रिपोर्ट प्र 0 पी0-7 दी।

विवेचना पूरी होने के बाद, अपीलार्थी और दोषमुक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जांजगीर के न्यायालय में दायर किया गया, जिसने बदले में प्रकरण को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को उपार्पित कर दिया, जहां से इसे विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जांजगीर ने अंतरण पर प्राप्त किया और विचारण संचालन किया तथा अपीलार्थी को ऊपर बताए अनुसार दोषी ठहराया और दंडित किया , और सह- अभियुक्त श्रीमती रूक्मणी उर्फ रुक्मिण को दोषमुक्त कर दिया।

3. श्री आर.के. जैन, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र 0 पी0-1) देरी से दर्ज की गई थी। इसके लिए उचित स्पष्टीकरण के अभाव में, अभियोजन पक्ष की कहानी संदिग्ध हो जाती है। अभियोक्त्री ने लगभग 4 महीने तक किसी को भी घटना के बारे में नहीं बताया, जबकि इस अवधि के दौरान, वह अपने मायके भी गई थी। अभियोक्त्री का आचरण बहुत ही अस्वाभाविक है। अभियोक्त्री का साक्ष्य विरोधाभासों से भरा पड़ा है। अभियोक्त्री के साक्ष्य के आधार पर, सह- अभियुक्त श्रीमती रूक्मणी उर्फ रुक्मिण को विचारण न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया था। अतः एक ही साक्ष्य के आधार पर, अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, अभियोक्त्री के साक्ष्य पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने का पात्र है।

4. श्री संदीप यादव, विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए, प्रस्तुत किया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. पक्षकार के परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के बाद, मैंने सत्र विचारण क्रमांक 345/2003 के अभिलेख का परीशीलन किया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि अभियोक्त्री दुवासा बाई (अ0सा0-1), सुखबाई (अ0सा0-2) और केवराबाई (अ0सा0-4) के साक्ष्य पर आधारित है।

6. दुवासा बाई (अ0सा0-1) ने कथन दिया कि उन्होंने पुलिस थाना जांजगीर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र 0 पी0-1) दर्ज कराई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र 0 पी0-1) दिनांक 7-7-2003 को दर्ज की गई थी और घटना का समय प्रथम सूचना रिपोर्ट में 4 महीने तक का लगातार बताया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. **तुलशीदास कानोलकर बनाम गोवा राज्य, (2003) 8 एससीसी 590** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अवलोकित किया:

> "**5** हम सबसे पहले विलंब के प्रश्न पर विचार करेंगे। असामान्य परिस्थितियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुई देरी को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट कर दिया है। किसी भी स्थिति में, बलात्कार के आरोपों में विलंब स्वयं अभियुक्त के लिए कोई राहत देने वाला कारक नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब को अभियोजन पक्ष के प्रकरण को खारिज करने और उसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने के औपचारिक सूत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह केवल न्यायालय को विलंब के लिए दिए गए किसी स्पष्टीकरण की जाँच और विचार करने के लिए सतर्क करता है। एक बार स्पष्टीकरण दिए जाने पर, न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि वह संतोषजनक है या नहीं। यदि अभियोजन पक्ष विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है और इस विलंब के कारण अभियोजन पक्ष के कथन में बढ़ा-चढ़ाकर या अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से पेश किए जाने की संभावना है, तो यह एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरी ओर, विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण झूठे आरोप या अभियोजन पक्ष के प्रकरण की कमजोरी के तर्क को खारिज करने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि वास्तविक परिदृश्य से पता चलता है, पीड़िता को अपने साथ घटी त्रासदी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ऐसे में, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में मात्र विलंब किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के कथन को कमजोर नहीं बनाता है।"

8. **सोहन सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य, (2010) 1 एससीसी 68** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार परीशीलन किया:

> "**13**. जब किसी हिंदू महिला द्वारा बलात्कार जैसे अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का अंतिम निर्णय लेने से पहले कई प्रश्न विचारणीय होते हैं। इस प्रकार दांडिक रूप से प्रताड़ित पीड़िता की दुर्दशा को समझना कठिन है। जाहिर है, पीड़िता भी बहुत उथल-पुथल से गुज़री होगी और गंभीरता से विचार करने के बाद ही उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्णय लिया होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में थोड़ी देरी हुई है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने विलंब को उचित रूप से स्पष्ट कर दिया है। इसलिए, हमें इस मुद्दे पर और विचार करने की आवश्यकता नहीं है।..."

9. अब, मैं इस बात की जांच करूंगा कि क्या अभियोजन पक्ष ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र 0 पी0-1) को दर्ज करने में का रिट विलंब को उचित रूप से स्पष्ट किया है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दुवासा बाई (अ0सा0-1) ने कथन किया कि अपीलार्थी ने उसे किसी को भी घटना के बारे में कुछ भी बताने से मना किया था, इसलिए, उसने किसी को भी घटना का खुलासा नहीं किया। जब वह अपने मायके गई, तो उसने सुखबाई (अ0सा0-2) और केवराबाई (अ0सा0-4) को घटना सुनाई और उसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र 0 पी0-1) दर्ज कराई।

11. आमतौर पर, होली का त्योहार हर साल मार्च के महीने में पड़ता है। उपरोक्त अभियोजन पक्ष के साक्षियों के अनुसार, दुवासा बाई (अ0सा0-1) ने उन्हें घटना सुनाई जब वह होली के त्योहार के अवसर पर अपने मायके आई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र 0 पी0-1) जुलाई, 2003 के महीने में दर्ज की गई थी, जो अपीलार्थी द्वारा बलात्कार के तथ्य का खुलासा करने के 4 महीने के बाद हुई थी।

12. यौन अपराध में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में मात्र विलंब अभियोजन के प्रकरण के लिए आवश्यक रूप से घातक नहीं है। हालांकि, यह तथ्य कि रिपोर्ट विलंब से दर्ज की गई थी, एक सुसंगत तथ्य है जिस पर न्यायालय को ध्यान देना चाहिए। इस तथ्य पर प्रकरण की अन्य तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में विचार किया जाना है, और एक विशिष्ट प्रकरण में, न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो सकता है कि रिपोर्ट दर्ज करने में देरी को पर्याप्त रूप से समझाया गया है। समग्र साक्ष्य के आलोक में, तथ्य के न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या रिपोर्ट दर्ज करने में देरी ने अभियोजन के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

13. अभियोजन पक्ष की साक्षी दुवासा बाई (अ0सा0-1) का रिपोर्ट दर्ज करने में देरी के सवाल पर दिया गया साक्ष्य असंतोषजनक है और यदि उसकी साक्ष्य को वैसा ही लिया जाता है जैसा वह है, तो रिपोर्ट दर्ज करने में अत्यधिक देरी अनुत्तरित रहती है।

14. दुवासा बाई (अ0सा0-1) ने कथन दिया कि उसकी साक्ष्य की तारीख से 4 महीने पहले, लगभग 1 बजे, उसका पति घर पर मौजूद नहीं था। उसका देवर (देवर) जांजगीर आया था। उसकी ननद (ननद) जूली तालाब आई थी। उस समय, उसका ससुर (अपीलार्थी) और सास (दोषमुक्त अभियुक्त) घर पर मौजूद थे। अपीलार्थी ने उससे कहा कि वह उसके साथ यौन संबंध बनाएगा। उसने इनकार कर दिया। इस पर, अपीलार्थी ने उसे चारपाई पर पटक दिया और जबरदस्ती उसके साथ यौन संबंध बनाया। उसके इनकार करने पर, दोषमुक्त अभियुक्त (सास) ने उसे पीटा और उसके पैर और हाथ पकड़े। इसके 2-3 दिन बाद, अपीलार्थी ने उसके पति को जारवे भेजा और उसके साथ पूरी रात अनैतिक संबंध स्थापित किया। उस समय, दोषमुक्त अभियुक्त ने उससे कहा कि यदि वह अनैतिक संबंध की अनुमति नहीं देगी तो वह क्या करेगी और आगे यह भी कहा कि उससे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। उसने आगे बयान दिया कि जब उसकी भाभियाँ सुखबाई (अ0सा0-2) और केवराबाई (अ0सा0-4) और उसकी माँ खिखबाई (अ0सा0-5) उसके ससुराल आई थीं, तो उसने उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. सुखबाई (अ0सा0-2) और केवराबाई (अ0सा0-4) ने कथन दिया कि वे अभियोक्त्री के ससुराल गए थे। रोते हुए, अभियोक्त्री ने उन्हें घटना सुनाई कि उसके ससुर (अपीलार्थी) उसके साथ लगभग 4 महीने तक जबरदस्ती यौन संबंध बना रहे थे। खीखबाई (अ0सा0-5) ने इसी तरह से कथन दिया।

16. अब, मैं इस बात की जांच करूंगा कि क्या अभियोक्त्री का साक्ष्य सुसंगत, विश्वसनीय और भरोसेमंद है?

17. अब यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि दोषसिद्धि केवल अभियोक्त्री की साक्ष्य पर आधारित हो सकती है जब तक कि संपोषण के लिए बाध्यकारी कारण न हों। अभियोक्त्री का साक्ष्य घायल साक्षी की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। यौन उत्पीड़न की शिकार व्यक्ति की साक्ष्य महत्वपूर्ण है जब तक कि ऐसे बाध्यकारी कारण न हों जो उसके कथन के संपोषण की आवश्यकता हो। न्यायालय को एक अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकार व्यक्ति के साक्ष्य पर कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहां उसकी साक्ष्य विश्वास दिलाती है और विश्वसनीय पाई जाती है।

18. दुवासा बाई (अ0सा0-1) ने कथन दिया कि उपरोक्त 4 महीने की अवधि के दौरान, वह अपने मायके गई थी और उसने अपने पिता और भाभियों को बताया था कि अपीलार्थी और उसकी सास उसके साथ क्रूरता से व्यवहार कर रहे

थे। उसने आगे कथन दिया कि जब उसके भाई और भाभियाँ उसके ससुराल आए थे, तो उसने उन्हें मारपीट के बारे में नहीं बताया था जो उसके साथ की जा रही थी। उसने आगे कथन दिया कि उसकी भाभी ने उसे बताया कि जो अपने पति के दुर्व्यवहार को सहन करती है, वह खुशी से रहती है।

19. सुखबाई (अ0सा0-2) ने अपने कथन में कहा कि यह सत्य है कि दुवासा बाई (अ0सा0-1) होली के त्यौहार के अवसर पर उनके घर आई थी। केवराबाई (अ0सा0-4) ने भी अभियोजन में कहा कि दुवासा बाई (अ0सा0-1) होली के त्यौहार के अवसर पर अपने मायके आई थी। सुखबाई (अ0सा0-2) ने कथन किया कि दुवासा बाई (अ0सा0-1) अपने मायके आषाढ़ के महीने में आई थी। उसने आगे कथन किया कि दुवासा बाई (अ0सा0-1) शौच के लिए बाहर जाती थी और अपने ससुराल वाले गाँव के तालाब में स्नान करती थी। बस्ती (मोहल्ले) के कई लोग भी उस तालाब पर जाते थे।"

20. अभियोक्त्री के अनुसार, जब अपीलार्थी ने उसके साथ अनैतिक संबंध स्थापित किया, तो दोषमुक्त अभियुक्त श्रीमती रूक्मणी उर्फ रुक्मिण ने उसके हाथों को पकड़ा और उसके पैरों को बांध दिया, और इस प्रकार उसने उसके साथ बलात्कार करने में अपीलार्थी की सहायता की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. **सेल्वराज बनाम तमिलनाडु राज्य, (1976) 4 एससीसी 343 के प्रकरण** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अवलोकित किया है:

> "**4.** .....सर्वप्रथम, यह मानना कठिन है कि अपीलार्थी वासना से इतना उत्तेजित था कि उसने मृतका, जो उसके चचेरे भाई की पत्नी थी, से यौन संबंध बनाने की मांग की, और वह भी तब नहीं जब वह अकेली थी, बल्कि उसके पति की उपस्थिति में। यदि वह वासना से पागल भी था, तो भी वह मृतक से यौन संबंध बनाने के लिए इस विशेष समय, यानी रात 9 बजे, नहीं आता, जब उसे पता होगा कि उसका पति नटेशन संभवतः घर पर ही होगा। किसी भी सूरत में, जब नटेशन घर में आया, तो अपीलार्थी को भाग जाना चाहिए था और मृतक से यौन संबंध बनाने की ज़िद नहीं करनी चाहिए थी। पूरी कहानी अत्यंत अविश्वसनीय और सामान्य मानवीय स्वभाव के विपरीत प्रतीत होती है। ....."

22. प्रस्तुत प्रकरण में, जब अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ अनैतिक संबंध स्थापित किया, तो दोषमुक्त अभियुक्त श्रीमती रूक्मणी उर्फ रुक्मिण ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसके पैरों को बांध दिया, और इस प्रकार उसने उसके साथ बलात्कार करने में अपीलार्थी की सहायता की। इस प्रकरण में भी, यह विश्वास करना कठिन है कि उसकी पत्नी की उपस्थिति में, अपीलार्थी अभियोक्त्री के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करता, और यह भी संभव नहीं है कि अपीलार्थी की पत्नी, अपीलार्थी को अभियोक्त्री के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करने की अनुमति देती।

23. अभियोक्त्री के अनुसार, अपीलार्थी ने उसके साथ लगभग 4 महीने तक लगातार यौन संबंध बनाए रखा और उसने घटना को अपने ससुराल के गाँव में आषाढ़ के महीने तक किसी को भी नहीं बताया। यहाँ तक कि होली के त्योहार के अवसर पर जब वह अपने मायके गई थी, तब भी उसने अपनी माँ और बहनों भाभियो को घटना के बारे में नहीं बताया। उसने सबसे पहले आषाढ़ के महीने में अपनी माँ और बहनों को घटना के बारे में बताया।

24. अतः, संपूर्ण वृत्तांत मानवीय प्रकृति के सामान्य क्रम के विपरीत अत्यंत असंभव और असंगत प्रतीत होता है। इसलिए, अभियोक्त्री का साक्ष्य निर्णायक, सुसंगत और विश्वसनीय नहीं है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पूर्णतः असंतोषजनक है और अपीलार्थी को अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने के अपराध के लिए दोषी ठहराने हेतु पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी को, तदनुसार, उस अपराध से दोषमुक्त किया जाना चाहिए जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है।

25. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। और अपीलार्थी को उस पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वर्तमान में,अपीलार्थी जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं और प्रतिभूति को उन्मोचित किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आर. एस. शर्मा

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Shruti Navratna